समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)

सरस्वती पूजा, 2015
-: संयुक्त विधि-व्यवस्था आदेश :-

इस वर्ष सरस्वती पूजा का त्योहार दिनांक 24 जनवरी, 2015 को मनाया जाएगा तथा प्रतिमा विजर्सन दिनांक 25-01-2015 को होगा। इस अवसर पर विभिन्न जगहों पर विशेषकर छात्र /छात्राओं द्वारा देवी सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना कर पूजा /अर्चना की जाती है एवं पूर्जा अर्चना के पश्चात् 02-03 दिनों के अंदर प्रतिमा का विजर्सन विभिन्न नदियों, तालाबों एवं जलाशयों में किए जाने की परंपरा है। सरस्वती पूजा के अवसर पर कहीं-कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जिसको देखने के लिए पूजा स्थलों पर भीड़ एकत्रित होती है। ऐसे आयोजनों में भीड़ के कारण, प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान मार्ग विवाद तथा अश्लील गाना बजाने को लेकर विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती हैं। ऐसे अवसरों पर शरारती, असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों के द्वारा छोटी-मोटी घटनाओं को भी वृहद स्वरुप देकर साम्प्रदायिक तनाव तथा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जा सकती है।

पर्व के अवसर पर जबरन चंदा वसूली के कारण कभी-कभी मारपीट एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस पर रोक लगानी चाहिए। पूजा-पंडालों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कभी-कभी साम्प्रदायिक भावनाओं को आहत करने वाले कार्टूनों /झांकियों को लगाया जाता है एवं लाउडस्पीकर से अशलील कैसेट बजाए जाते हैं। इस पर सख्ती से रोक लगाना चाहिए। धार्मिक संगठनों तथा धर्म के नाम पर अफवाह /द्वेष /नफरत तथा गलतफहमी फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना भी अपेक्षित है। पर्वो में निकलने वाले जुलूस तथा लाउडस्पीकर हेतु अनुज्ञप्ति उचित प्राधिकार द्वारा ही निर्गत किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रतिमा के विसर्जन जुलूस में पुलिस स्कॉर्ट की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों के लौटने तक प्रतिनियुक्ति को कायम रखनी चाहिए। प्रतिमा के विसर्जन हेतु जो समय अनुज्ञप्ति पर अंकित होता है, उसी समय पर विसर्जन किया जाना चाहिए। जुलूस मार्ग का संबंधित थानाध्यक्ष एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन कर यदि कोई व्यवधान है, तो उसका समाधान कर देना चाहिए। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा निर्धारित समय पर विसर्जन नहीं करते हुए आदेश की अवहेलना की जाती है, उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर देनी चाहिए।

विगत वर्षो में इस पर्व के अवसर पर इस जिले की साम्प्रदायिक स्थिति सामान्य एवं शांतिपूर्ण रही है, फिर भी हाल के दिनों में कट्टरपंथी असामाजिक तत्वों के क्रियाकलाप एवं साम्प्रदायिक विद्वेश के मद्देनजर इस पर्व के अवसर पर कड़ी निगरानी बरतने की आवश्यकता है। मधेपुरा जिला में मूर्त्ति विसर्जन एवं जुलूस दिनांक-25-01-2015 को निकाले जाने की संभावना है। शहरी क्षेत्र का प्रतिमा विसर्जन मधेपुरा के (समाहरणालय से पूरब) **गुमटी धार के नदी घाट** एवं सहरसा जाने वाली रोड में **भिरखी नदी** पर होता है। जिले के अन्य भागों में प्रतिमा विसर्जन होता है। संबंधित अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष विभिन्न पूजा पंडालों के आयोजको द्वारा विसर्जन हेतु निर्धारित तिथि की जानकारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों को उपलब्ध करा देंगे। इस बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए सरस्वती पूजा के त्योहार के अवसर पर जिले के निम्नांकित

स्थानों पर सतर्कता बरतने एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु निम्नलिखित विवरणी के अनुरूप गश्ती दल /स्टेटिक दण्डाधिकारियों /पुलिस पदाधिकारियों /पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-

क्र0	प्रतिनियुक्ति का स्थान	सशस्त्र बल	दण्डाधिकारी का नाम / पदनाम	पुलिस पदाधिकारी का नाम
1	मधेपुरा थाना सुरक्षित	1-4	श्री दिवाकर कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,मधेपुरा-9431818606	थानाध्यक्ष, मधेपुरा
2	मधेपुरा शहर सम्पूर्ण गश्ती	1-4	श्री उदय कृष्ण यादव, अंचल अधिकारी, मधेपुरा-8544412633	नधेपुरा थाना से एक पुलिस पदा0 की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
3	सिंहेश्वर थाना सुरक्षित	1-4	श्री अजित कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर-9431818309	थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर
4	सिंहेश्वर बाजार गश्ती	1-4	श्री अनिल कुमार झा, अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर-8544412636	सिंहेश्वर थाना से एक पुलिस पदा0 की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
5	शंकरपुर थाना सुरक्षित	1-4	श्री तेज प्रताप त्यागी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर-9431818608	थानाध्यक्ष, शंकरपुर
6	गम्हरिया थाना सुरक्षित	1-4	श्री अरूण कुमार,अंचल अधिकारी, गम्हरिया-8544412630	थानाध्यक्ष, गम्हरिया
7	घैलाढ़ थाना सुरक्षित	1-4	श्री नरोत्तम पाण्डेय, अंचल अधिकारी, घैलाढ़-8544412631	थानाध्यक्ष, घैलाढ़
8	कुमारखण्ड थाना सुरक्षित	1-4	श्री सियाराम पासवान, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड-9431818607	थानाध्यक्ष, कुमारखंड
9	मुरलीगंज थाना सुरक्षित	1-4	श्री अनुरंजन कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज-9431818310	थानाध्यक्ष, मुरलीगंज
10	मुरलीगंज बाजार गश्ती	1-4	श्री रामावतार यादव,अंचल अ0,मुरलीगंज -8544412634	मुरलीगंज थाना से एक पुलिस पदा0 की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
11	उदाकिशुनगंज थाना सुरक्षित	1-4	श्री सुजीत कुमार राउत, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज- 9431818311	थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज

12	उदाकिशुनगंज बाजार गश्ती	1-4	श्री श्यामानन्द झा,अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज-8544412642	उदाकिशुनगंज थाना से एक पुलिस पदा0 की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
13	ग्वालपाड़ा थाना सुरक्षित	1-4	श्री शिवेश कुमार सिंह, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा-9431818609	थानाध्यक्ष, ग्वालपाड़ा
14	बिहारीगंज थाना सुरक्षित	1-4	श्री अरविन्द कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज-9431818610	थानाध्यक्ष, बिहारीगंज
15	बिहारीगंज बाजार गश्ती	1-4	श्री निरंजन कुमार सिंह, अंचल अधिकारी, बिहारीगंज-8544412638	बिहारीगंज थाना से एक पुलिस पदा0 की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
16	चौसा थाना सुरक्षित	1-4	श्री मिथिलेश कुमार वर्मा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौसा-9431818312	थानाध्यक्ष, चौसा
17	चौसा बाजार गश्ती	1-4	मो0 सदरूल हक, अंचल अधिकारी, चौसा-8544412639	चौसा थाना से एक पुलिस पदा0 की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
18	पुरैनी थाना सुरक्षित	1-4	श्री राजीव कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी-9431818611	थानाध्यक्ष, पुरैनी
19	आलमनगर थाना सुरक्षित	1-4	मो0 मिन्हाज अहमद, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर-9431818313	थानाध्यक्ष, आलमनगर
20	आलमनगर बाजार गश्ती	1-4	श्री अरूण कुमार, अंचल अधिकारी, आलमनगर-8544412637	आलमनगर थाना से एक पुलिस पदा0 की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

(2) प्रतिनियुक्ति स्थान :-

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर दिनांक 24-01-2015 के पूर्वाह्न 08:00 बजे तक निश्चित रूप से पहुँच जाएंगे और प्रतिनियुक्ति स्थान पर पहुँच कर आगमन की सूचना संबंधित प्रखंड /थाना के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को देंगे तथा मूर्त्ति विसर्जन के बाद स्थिति सामान्य रहने पर हीं अपनी प्रतिनियुक्ति का स्थान छोड़ेंगे। किसी प्रकार की गड़बड़ी या अशान्ति की स्थिति उत्पन्न होने पर वे प्रतिनियुक्ति के स्थान पर तब तक बने रहेंगे, जबतक कि स्थिति पूर्ण रूपेण सामान्य न हो जाए। सभी दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी हर स्थिति का दृढ़ता पूर्वक सामना करेंगे तथा स्थिति नियंत्रण करने में दूरदर्शिता का परिचय देंगे। विधि व्यवस्था कायम रखने में

जनता का सहयोग प्राप्त करेंगे तथा हर-हालत में विधि-व्यवस्था को नियंत्रण में रखेंगे। साथ ही यदि उपरोक्त प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता हो, तो अनुमण्डल पदाधिकारी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(3) शांति समिति :-

शांति समिति का गठन कर साम्प्रदायिक सदभावना बनाये रखने हेतु सहयोग की जिम्मेदारी शांति समिति के सदस्यों को सौपनी चाहिए। विगत वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर राज्य में 17 तनाव की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1-पटना जिला के पीरबहोर थानान्तर्गत एन0आई0टी0 मोड़ पर पटना विश्वविद्यालय के मिन्टो छात्रावास तथा एन0आई0टी0 छात्रावास के छात्रों के मध्य प्रतिमा विसर्जन को लेकर झड़प हुई तथा बम भी फेंके जाने को लेकर।

2-पटना जिला के सुल्तानगंज थानान्तर्गत दलित छात्रावास के छात्रों के दो गुटों के मध्य प्रतिमा विसर्जन को लेकर गोलीबारी तथा बम फेंके जाने को लेकर।

3-खगड़िया जिलान्तर्गत गोगरी थानान्तर्गत ग्राम-छोटी मलिया में प्रतिमा विसर्जन के क्रम में हिन्दु समुदाय के व्यक्ति के द्वारा मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति को चाकू मारकर जख्मी कर दिए जाने को लेकर।

4-दरभंगा जिला के मनीगाछी थानान्तर्गत ग्राम-इजरहट्टा में प्रतिमा विसर्जन जुलूस के मार्ग को लेकर।

5-दरभंगा जिला के कमतौल थानान्तर्गत ग्राम- बाघा में प्रतिमा विसर्जन जुलूस के द्वारा मस्जिद के सामने गाना बनाए जाने को लेकर।

6-मधेपुरा जिला के मिठाई ओ0पी0 अन्तर्गत ग्राम-दुबीआही में प्रतिमा विसर्जन को लेकर हिन्दु समुदाय के दो गुटों के बीच झड़प तथा गोलीबारी को लेकर।

7-सहरसा जिला के महिषी थानान्तर्गत जलई ओ0पी0 के ग्राम - तेलवा में प्रतिमा विसर्जन के क्रम में मुस्लिम समुदाय के कतिपय अराजक तत्वों के द्वारा विसर्जन जुलूस पर मिर्च पाउडर फेंके जाने को लेकर।

8-बांका जिला के धनकुंड ओ0पी0 अन्तर्गत प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा पथराव किए जाने को लेकर।

9-अररिया जिला के फारबिसगंज थानान्तर्गत ग्राम-अमहरा में विसर्जन जुलूस पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा पथराव किए जाने को लेकर।

10-सीतामढ़ी जिला के नानपुर थानान्तर्गत ग्राम-बथली में प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे जुलूस के एक युवक सदस्य को मुस्लिम समुदाय के युवक द्वारा ट्रेक्टर के नीचे धक्का दिए जाने को लेकर।

11-वैशाली जिला के बलिया गांव थानान्तर्गत प्रतिमा विसर्जन के क्रम में ग्राम-दोधरा एवं चकदोहरी के हिन्दु समुदाय के दो भिन्न जातियों के लोगों के मध्य झड़प एवं मारपीट हो जाने को लेकर।

12-मुजफ्फरपुर जिला के औराई थानान्तर्गत प्रतिमा विसर्जन के क्रम में गाम-राजखंड एवं देवली ग्राम के लोगों के बीच मारपीट तथा चाकूबाजी होने को लेकर।

13-पूर्णियॉ जिला के कसबा थानान्तर्गत ग्राम-टीकापुर मोहनी में सरस्वती पूजा के अवसर पर लाउडस्पीकर बजाने के विवाद में हिन्दु समुदाय के दो युवकों के मध्य मारपीट को लेकर।

14-नालंदा जिला के ईस्लामपुर थानान्तर्गत पटेल नगर में प्रतिमा विसर्जन के क्रम में एक युवक को टाटा-407 वाहन से धक्का लग जाने को लेकर।

15-मुंगेर जिला के असरगंज थानान्तर्गत ग्राम- अदरास में प्रतिमा विसर्जन के क्रम में हिन्दु समुदाय की दो जातियों के मध्य मारपीट को लेकर।

16-सारण जिला के कोपा थानान्तर्गत ग्राम-बसडीला में मस्जिद के सामने से प्रतिमा विजर्सन जुलूस के गुजरने को लेकर।

17-गोपालगंज जिला के बैंकुंठपुर थानान्तर्गत ग्राम-कतालपुर में मस्जिद के सामने से प्रतिमा विसर्जन जुलूस के गुजरने को लेकर।

मधेपुरा जिले में कुछ ऐसे स्थान हैं, जैसे मधेपुरा नगर क्षेत्र, मस्जिद चौक, भिरखी चौक, मुरलीगंज थाना, काशीपुर, बिहारीगंज थाना- हथिऔंधा, ग्वालपाड़ा थाना-झंझड़ी, चौसा थाना-लौआलगान, अरजपुर, कुमारखंड थाना-लक्ष्मीपुर भगवती, जहाँ पर शान्ति भंग होने की संभावना रहती है, फलस्वरूप उपरोक्त स्थानों के अलावे अन्य ऐसे स्थानों को भी चिन्हित करते हुए आवश्यकतानुसार यथेष्ठ सुरक्षात्मक व्यवस्था के साथ-साथ निरोधात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत होती है।

अतएव उक्त अवसर पर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी द्वारा ऐसे स्थानों का निरीक्षण करेंगे तथा यदि कहीं कोई समस्या है, तो ससमय उसका समाधान आवश्यक होगा। सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों पर अंचल अधिकारी/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ मिलकर शान्ति समिति की बैठक बुलायेंगे तथा शान्ति समिति का गठन करेंगे, जिससे कोई विवाद एवं तनाव की स्थिति हीं उत्पन्न न हो।

(4) यदि किसी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना हो तो तुरन्त शान्ति भंग करने वालों को हिरासत में ले लेने में कोई हिंचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। शान्ति भंग होने या किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर आवश्यकतानुसार बल प्रयोग करने में भी किसी प्रकार की हिंचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सरकार का दृढ़ संकल्प है कि किसी भी हालत में शान्ति एवं व्यवस्था बनी रहे। इसलिए जो पदाधिकारी अपने कर्त्तव्यों का पालन मुस्तैदी एवं सर्तकता से नहीं करेंगे वे समुचित कार्रवाई के भागी होंगे। ऐसा देखा गया है कि कभी-कभी असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाने का षड्यंत्र रचा जाता है, जिसका शीघ्रता से खण्डन किया जाये एवं ऐसे असामाजिक तत्वों को तुरन्त हिरासत में ले लिया जाए। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी एक साथ मिलकर कार्य करें। स्थानीय विशेष शाखा के पदाधिकारी विशेष सूचनाओं से उच्चाधिकारियों को शीघ्रताशीघ्र अवगत करायेंगे।

अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डलीय पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा शान्ति समिति का गठन अपने स्तर से करेंगे। वे बैठक बुलायेंगे और बड़ी मस्जिद के इमाम साहब से मिलकर नमाज एवं अजान का समय निश्चित कर लेंगे और बैठक में बड़ी मस्जिद पर अजान /नमाज के निर्धारित समय के आलोक में विभिन्न अखाड़ा/ जुलूस को बड़ी मस्जिद से गुजरने के समय को सर्वसम्मति से पास करा लेंगे तथा ससमय मुद्रित कराकर उसकी प्रतियाँ प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों/ अखाड़ा जुलूस के अनुज्ञप्तिधारियों /जिम्मेदार सदस्यों एवं शान्ति समिति के सदस्यों को वितरित करवा देंगे।

(5) पंडाल /प्रतिमा विसर्जन -सह- जुलूस की अनुमति :-

गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरस्वती पूजा, 2015 के अवसर पर पंडाल आयोजन की अनुमति संबंधित थानाध्यक्ष /प्रखंड विकास पदाधिकारी /पुलिस निरीक्षक /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर संबंधित अनुमण्डल दण्डाधिकारी पूर्व निर्धारित शर्त्तों के अधीन

देंगे। इसी प्रकार प्रतिमा विसर्जन /जुलूस की अनुमति थानाध्यक्ष /पुलिस निरीक्षक की अनुशंसा पर संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी गत वर्ष की भांति निर्धारित शर्त्तो के अधीन देंगे।

साथ ही सभी थानाध्यक्षों को प्रत्येक पूजा पंडालों पर जाकर शांति समिति की बैठक का निदेश दिया गया है। प्रतिमा विसर्जन के समय निकलने वाले जुलूस के संबंध में अनुज्ञप्ति में ही सभी सूचनाएँ आयोजकों द्वारा देना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्ति में समय तथा रूट के बारे में स्पष्ट प्रविष्टि होनी चाहिए। अनुज्ञप्ति में समय का निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए जिससे दो जुलूसों में टकराव न हों। सभी थानाध्यक्ष इसकी छानबीन व्यक्तिगत रूप से करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी को भी इस संबंध में समझा देंगे। अनुज्ञप्ति में दिए गए रास्ते एवं समय को बिना पुलिस अधीक्षक की पूर्वानुमति के बदला नहीं जाय। जहाँ नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र पहुँचे वहाँ पुलिस निरीक्षक स्वयं जाँच कर अपनी अनुशंसा भेजेंगे। आम तौर पर नई अनुज्ञप्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जाए। **अनुज्ञप्ति में दिए गए शर्त्त के अनुसार जुलूस को सख्ती से विनियमित किया जाना आवश्यक है।**

(6) नगर गश्ती दल :-

इस कार्य हेतु मधेपुरा नगर क्षेत्रान्तर्गत श्री उदय कृष्ण यादव, अंचल अधिकारी, मधेपुरा (मोबाईल नं0-8544412633) तथा पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति परिचारी प्रवर, मधेपुरा करेंगे, जिनका दायित्व होगा कि नगर के संवेदनशील स्थानों /भागों पर अहर्निश गश्ती करेंगे।

(7) नियंत्रण कक्ष :-

मधेपुरा थाना जिसका दूरभाष संख्या-06476- 222031 है, में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। यह जिला नियंत्रण कक्ष दिनांक 24-01-2015 के पूर्वा0 से दिनांक 25-01-2015 तक कार्यरत रहेगा। वहाँ पर एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसमें दण्डाधिकारी के रूप में श्री संजय कुमार वर्मा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा (मोबाईल नं0- 8987268975) एवं मधेपुरा थाना से पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि विधि-व्यवस्था से संबंधित सूचनायें अंकित करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सूचना उच्चाधिकारियों को तुरन्त देंगे। परिचारी प्रवर को आदेश दिया जाता है कि जिला नियंत्रण कक्ष में 2 सेक्शन सशस्त्र बल एवं 4 सेक्शन लाठी बल की प्रतिनियुक्ति करें, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी विलम्ब के विधि व्यवस्था कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सके।

(8) शराब दुकानों की बन्दी :-

उत्पाद अधीक्षक, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे शराब की सभी दुकानें बन्द रखने संबंधी आदेश जिलाधिकारी से ससमय प्राप्त कर लेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी विशेष परिस्थिति में अपने-अपने क्षेत्र मे शराब की दुकानों को अन्य दिनों में भी बन्द करा सकते हैं। अधीक्षक, उत्पाद यह सुनिश्चित करेंगे कि शराब की सभी दुकानें मूर्ति विसर्जन जुलूस के दिन क्षेत्र विशेष में बन्द रहें।

(9) धुम्रपान निषेध :-

सभी पूजा पंडालों को सार्वजनिक स्थान घोषित किया जाता है तथा कोटपा के तहत् पंडाल के पास धुम्रपान करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध निर्धारित जुर्माना वसूल करेंगे। इसे सख्ती से अनुपालन कराने हेतु सभी पूजा पंडालों के सुगोचर स्थानों पर बड़े एवं मोटे शब्दों में **"धुम्रपान निषेध"** तथा **पकड़े जाने पर 200/- रूपये जुर्माना** एवं **जुर्माना वसूलने पदाधिकारी का नाम**

अंकित रहेगा। जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा सभी पंडालों को पर्याप्त संख्या में जुर्माने की रसीद उपलब्ध करायेंगे।

(10) पूजा पंडाल आदि में बिजली कनेक्शन :-

कार्यपालक अभियंता, विद्युत एवं सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि किसी भी हालत में किसी भी पूजा समिति के आयोजकों /समिति द्वारा टोका लगाकर बिजली का कनेक्शन नहीं लगावें, इसे हरहाल में सुनिश्चित करावें। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि तत्काल उन्हें फॉर्म भरकर अस्थायी कनेक्शन लेने हेतु निदेशित करें।

(11) सम्पूर्ण प्रभार :-

मधेपुरा जिले के विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में श्री अबरार अहमद कमर, अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा तथा श्री कैलाश प्रसाद, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा रहेंगें।

(12) एम्बुलेंस

असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा विसर्जन के दिन एक चिकित्सा टीम एम्बुलेंस सहित की व्यवस्था एवं आवश्यक दवाओं की भंडारण भी तैयार अवस्था में रखेंगे, जो नगर क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगा।

(13) परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, मधेपुरा सरस्वती पूजा के अवसर पर प्रतिनियुक्त सभी पुलिस पदाधिकारियों को हेलमेट निर्गत करेंगे और सभी पुलिस/ हवलदार को बॉडी प्रोटैक्टर और हेलमेट निर्गत करेंगे। 1-5 अश्रु गैस दस्ता, 1-5 सशस्त्र बल के साथ बज्रवाहन को जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त करेंगे।

(14) खैरियत प्रतिवेदन :-

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि खैरियत प्रतिवेदन 5.00 बजे अपराह्न तक (दिनांक 24 एवं 25 जनवरी, 2015 तक) संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को मिल जाए। इसके लिए वे पुलिस बेतार /दूरभाष /विशेषदूत का प्रयोग कर सकते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपना-अपना खैरियत प्रतिवेदन 6.00 बजे संध्या तक जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को भेज देंगे।

22.1.15 पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा।	22/1/15 जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

ज्ञापांक 174/गो0, मधेपुरा, दिनांक 22/01/ 2015 ई0।

प्रतिलिपि : गृह आयुक्त बिहार पटना / पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार पटना/ पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा/ आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अनुमण्डल पदाधिकारी /सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) मधेपुरा /सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला समादेष्टा, गृह रक्षावाहिनी मधेपुरा / परिचारी प्रवर, मधेपुरा/ सभी पुलिस निरीक्षक /सभी थानाध्यक्ष /ओ0पी0 अध्यक्ष /वितंतु पर्यवेक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वितंतु पर्यवेक्षक, मधेपुरा अविलम्ब सभी संबंधितों को सूचित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल से भेजते हुए जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

पुलिस अधीक्षक,
मधेपुरा।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।